

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : चि0प्र0/दिव्यांगजन/2018/ 11-20

दिनांक: 4-1-18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-सरकारी विभागों के लैटर पेड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय का लॉगो का प्रयोग/मुद्रण करने के संबंध में।

संदर्भ:-संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3)विभाग, के पत्रांक एफ34(5)चिस्वा/ग्रुप-3/2016 दिनांक 15.012.17 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त राजकीय विभागों, निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों में उपयोग में लिये जा रहे लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के लॉगो का (Logo) का प्रयोग किया जायेगा।

अतः प्राप्त पत्र की छायाप्रति भिजवाते हुए निर्देशानुसार लेख है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (3 पृष्ठ)।

६ ()
अति० निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : चि0प्र0/दिव्यांगजन/2017/ 11-20

दिनांक: 4-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3)विभाग, को उनके पत्रांक एफ34(5)चिस्वा/ग्रुप-3/2016 दिनांक 15.012.17 के क्रम में।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. अति० निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को आज ही सम्बन्धित को ईमेल कराना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

MA-2714
18/12/17

NO/PAD/DIR II/
6117
15 DEC 2017
AD (MA)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 34 (5)चिस्वा./ग्रुप-3/2016

जयपुर, दिनांक 15 DEC 2017

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

R.08
2-1-18

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

विषय:-सरकारी विभागों के लैटर पेड पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय का लॉगो का प्रयोग/मुद्रण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 3 (1)मु.ले.सा./2017 दिनांक 11.12.17 की प्रति संलग्न कर निदेशानुसार लेख है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

62

(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव

Dak No. 16063 Pt. Sec./MA&H/2017

Date 12-12-17

राजस्थान सरकार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

क्रमांक:—प.3(1)मु.ले.सा./2017

जयपुर दिनांक:—(11.12.2017)

हायरी क्रमांक 5389
दिनांक 13/12/17
चिकि, एवं स्था. (मु.न-3) परिपत्र

IMMEDIATE

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

विषय— सरकारी विभागों के लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय का
लोगो का प्रयोग/मुद्रण करने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त राजकीय विभागों, निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपयोग में लिये जा रहे लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के लोगो का (Logo) प्रयोग किया जावेगा।

वर्तमान में छपे हुए लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के लोगो (Logo) का उपयुक्त आकार का स्टीकर लगा कर और भविष्य में छपने वाले लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के उपयुक्त आकार के लोगो (Logo) का मुद्रण करवा कर ही उपयोग में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। लोगो का प्रतिरूप (Sample) संलग्न प्रेषित है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्य मंत्री
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. अध्यक्ष/सचिव, समस्त निगम एवं बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजस्थान सरकार
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
7. रक्षित पत्रावली

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

